-1-

249

R 204-I/17

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

1. श्रीमती शमीम बानो पत्नी मुहम्मद ईशा
निवासी वार्ड नं.24 गुप्ता लॉज के पास
जिला छतरपुर (म०प्र०)
2. नत्थू पिता हल्के काछी
नि. ग्राम नारायणपुरा हाल निवासी
वृन्दावनपुरम कालोनी तह. छतरपुर

..........आवेदकगण

श्री डी.के. पासी (एड.) द्वारा आज दि. 16/01/17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

//विरूद्ध//

म०प्र० शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा-50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव (एड.)
इतवारी हिल्स, सागर (म.प्र.)
मो. 9424404113, 07582-244808

उपरोक्त आवेदक ने न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्रकरण क्रमाँक 46/अपील/1989-90 में पारित आदेश दिनांक 22-08-1990 के परिपालन में तहसीलदार छतरपुर के आदेश दि. 16.03.2015 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख आधारों पर प्रस्तुत करते है:-

1. यह कि, प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक क्र.2 को ग्राम नारायणपुरा स्थित भूमि का व्यवस्थापन वर्ष 1981 में किया गया था दखल रहित अधिनियम के तहत उसे वर्ष 1986 भूमि में स्वामी अधिकार प्रदान किए गए थे। शिकायतकर्ता के आवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को शासन के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया जबकि राजस्व रिकार्ड में आवेदक का नाम विधिवत रूप से दर्ज रहा भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के उपरांत आवेदक क्र.2 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 24.11.2002 को इसी भूमि में से खसरा क्र. 583 रकवा 0.405 हे0 भूमि आवेदिका क्र. 1 को विक्रय की जिसका विधिवत नामांतरण विचारण न्यायालय तहसीलदार छतरपुर द्वारा नामांतरण पंजी क्र.2 तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक 14.12.2010 के अनुसार किए जाने का आदेश पारित किया गया तभी से आवेदिका विधिवत रूप से काबिज चली आ रही है। तहसीलदार छतरपुर द्वारा दिनांक 16.03.2015 को आवेदिका को बिना किसी कारण बताओं

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-204/I/17 .... जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.1.17	1— आवेदक के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्रकरण क्रमाँक 46/अपील/1989—90 में पारित आदेश दिनांक 22—08—1990 के परिपालन में तहसीलदार छतरपुर के आदेश दि. 16.03.2015 के विरूद्व म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदक क्र.2 को ग्राम नारायणपुरा स्थित भूमि का व्यवस्थापन वर्ष 1981 में किया गया था। दखल रहित अधिनियम के तहत उसे वर्ष 1986 में भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किए गए थे। शिकायतकर्ता के आवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि को शासन के नाम दर्ज करने का आदेश वर्ष 1990 में पारित किया जबकि राजस्व रिकार्ड में आवेदक क्र.2 का नाम विधिवत रूप से दर्ज रहा, भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के उपरांत आवेदक क्र. 2 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 24.11.2009 को इसी भूमि में से खसरा क्र. 583 रकवा 0.405 हे0 भूमि आवेदिका क्र.1 को विक्रय की जिसका विधिवत नामांतरण विचारण न्यायालय तहसीलदार छतरपुर द्वारा नामांतरण पंजी क्र.2 तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक 14.12.2010 के अनुसार किए जाने का आदेश पारित किया गया तभी से आवेदिका विधिवत रूप से काबिज चली आ रही है। तहसीलदार छतरपुर द्वारा दिनांक 16.03.2015 को आवेदिका को बिना किसी कारण बताओं सूचना पत्र/सुनवाई का अवसर दिए वर्ष 1990 में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के आधार पर	

[क्र. प. उ.

R. 204-III/17 (छतरपुर)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदिका द्वारा क्रयशुदा भूमि को म.प्र.शासन के नाम दर्ज करने का नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया इस कारण पारित आदेश निरस्त करते हुए निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया है। 3— आवेदिका की ओर से तर्क में कहा गया है कि उसे विधिवत सुनवाई का अवसर दिए बिना भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किए जाने उपरांत रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से क्रयशुदा भूमि जिस पर आवेदिका का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज था रजिस्टर्ड विक्रयपत्र एवं खसरा पांचसाला प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। इस कारण उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना कारण बताओं सूचना पत्र जारी किए बिना स्वप्रेरणा की कार्यवाही कर प्रश्नगत आदेश पारित किया है। जो वैद्य नहीं माना जा सकता इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत "राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्डिया एस.एस.सी.—44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। "माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस. के. गंगेले ने वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि. म.प्र. राज्य तथा एक अन्य रे.नि. 2013 पृष्ट 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐंसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है" अतएव उन्होंने आवेदिका को किया गया नामांतरण आदेश दिनांक 14.12.2010 स्थिर रखते हुए अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार छतरपुर द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने का अनुरोध किया है। 4— उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। तहसीलदार छतरपुर द्वारा आदेश दिनांक 16.03.2015 में प्रश्नाधीन भूमि शासन के नाम दर्ज किए जाने के पूर्व आवेदिका को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं	

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2041-I-17 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	किया है। जबकि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के अनुसार खसरा पांचसाला वर्ष 2011–17 में आवेदिका शमीम वानों का नाम दर्ज होना पाया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर स्वमेंव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया है। जबकि विक्रेता को वर्ष 1981 में पट्टा जारी किया गया है। खसरा पांचसाला 2011–12 में भी उसका नाम दर्ज है इस कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वर्ष 1990 के आदेश के आधार पर तहसीलदार छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2015 वैद्य नहीं पाता हूँ। जबकि आवेदिका के क्रयशुदा भूमि जिसका नामांतरण पंजी क्र.2 न्यायालय तहसीलदार छतरपुर के आदेश दि.14.12.2010 के अनुसार नामांतरण स्वीकृत किया गया है जिसका उल्लेख वर्तमान खसरा पांचसाला में उल्लेखित है ऐसी स्थिति में भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के बाद किया गया अंतरण अवैद्य नहीं माना जा सकता। 5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.08.1990 में आवेदिका का रकवा 0.405 हे0 भूमि के संबंध में पारित आदेश निरस्त किया जाता है। शेष भूमि शासन के नाम दर्ज रहेगी। तथा तहसीलदार छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.03.2015 निरस्त करते हुए तहसीलदार छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.12.2010 स्थिर रखा जाता है। परिणामतः आवेदिका शमीम वानो का नाम राजस्व रिकार्ड में पूर्वतः दर्ज किए जाने के निर्देश दिए जाते है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता हैं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	

[कृ. प. उ.